


NIC के लिंक के  
website के डाटा  
13/9/12



# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110004



दिनांक 28-8-2012

10/9/12  
समाप्त शकती है  
दलों के  
सूचित करें।  
website में  
डाटा


विषय :- पुनर्गठित मतदान केन्द्रों की सूची के अनुमोदन-के संबंध में-झारखण्ड राज्य।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड के पत्रांक 1338 दिनांक 16-8-2012 के साथ प्राप्त आपके पत्रांक 234 दिनांक 4-8-12 के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के अनुसरण में सिमडेगा जिलान्तर्गत 71-कोलेबिरा विधान सभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों की सूची का अनुमोदन का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त विषय के मामले में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उक्त अनुमोदन के संबंध में सभी राजनैतिक दलों/जनता/सभी संबंधितों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करें। कृपया इस पत्र की प्राप्ति सूचना भेजें

भवदीय,

  
(जे० के० राव)  
अवर सचिव

सं० 64/झार०/ 71/2012

दिनांक 27-8-2012

प्रतिलिपि:-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड रांची उनके पत्र संख्या 1338 दिनांक 16-8-2012 के संदर्भ में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जे० के० राव)  
अवर सचिव

877/20  
11/9/12  
683  
12/9/12